ल,
अपर निदेशक उद्योग,
उत्तर प्रदेश।

अ०द्वि०आ०पत्रांक 1520 - 2014 /11
मिनी औ० आ० (पा लिसी) /88-89

उद्योग निदेशालय, उ० प्र०
औद्योगिक आस्थान, अनु०ाप - II
दिनांक: कानपुर: जुलाई 22, 1988

प्रिय महोदय,

राजकीय औद्योगिक आस्थानो के अन्तर्गत शेडो / भूखण्डो के आवंटन का अधिकार शासनादेश संख्या 5754/18-2 ... /80 दिनांक 14.10.80 द्वारा प्रदत्त है । इस तारतम्य में य स्पष्ट करना है कि प्राथमिकताओ की स्पष्ट व्याख्या न होने कारण पिछडे वर्ग के उद्यमियों को यथेष्ट प्रोत्साहन प्राप्त करने में कठिनाई होती है । विकास खण्ड पर स्थापित हो रहे मिनी औद्योगिक आस्थानो में देहात के कारीगरो जिनमें पिछडे वर्ग के लोगो का बाहुल्य है और उनके द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की आशा की जाती है, इसलिये प्राथमिकताओ आदि की स्पष्ट व्याख्या करते हुये आवंटन प्रक्रिया का सरलीकरण बडे तथा मिनी औद्योगिक आस्थान के लिये किया जाना आवश्यक है ।

अतएव उपर्युक्त परिस्थितियो के आधार पर बडे / मिनी औद्योगिक आस्थानो के आवंटन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि इसका पालन तत्कालीन प्रभाव से किया जाये । निर्धारित नियम के अनुसार आवंटन की कार्यवाही एवं समस्त सूचनाये उद्यमियों को दिलाया जाये एवं आवंटन की प्रक्रिया दर्शाये गये अनुबन्धो के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये । इस आदेश का पालन कडाई के साथ किया जाये । नियम तथा प्रार्थना पत्र का प्रारूप की चार चार प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित है ।

भवनिष्ठ,

(यशपाल)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(नाम से)
समस्त सामान्य प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

क्रमश:--- 2/

राजकीय औद्योगिक आस्थानों में शेड / भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया ।

भूमिका

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक दृष्टि से सुदृढ नव भारत के निर्माण के उद्देश्य से उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने की नीति की घोषणा सरकार ने की । इसके अन्तर्गत आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त औद्योगिक आस्थानों का निर्माण कर विद्युत, जल, सड़क, नाली आदि सुविधा सम्पन्न भूखण्ड / शेड्स, हानि लाभ रहित लागत मूल्य पर उद्यमियों को उपलब्ध कराने का कार्य शासन द्वारा किया जा रहा है । कोई भी व्यक्ति जो उद्योग स्थापित करना चाहता है तथा जो अपने अथवा बाह्य साधनों से उद्योग स्थापित करने की क्षमता रखतो हो, वरीयतानुसार राजकीय औद्योगिक आस्थानों के शेड्स / भूखण्डों को प्राप्त करने के लिए अर्ह होगा । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा भूखण्ड 99 वर्ष के लीज पर तथा शेड कीमत भुगतान के आधार पर केवल उद्योगों को स्थापना हेतु दिये जाते है और दुरूपयोग किये जाने की दशा में लीज डीड / अनुबन्ध – पत्र की शर्तों के अनुसार आवंटन निरस्त किये जाते है ।

राजकीय औद्योगिक आस्थानों में शेड / भूखण्डों के आवंटन के अधिकार सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को शासनादेश संख्या – 5754/18-2(आर)/87 दिनांक 24. 10. 80 द्वारा प्रदत्त है । सामान्य प्रबन्धकगण वर्तमान में अपने विवेक से प्राथमिकताओं आदि पर विचार कर आवंटन करते है । प्राथमिकताओं की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण पिछडे वर्ग के उद्यमियों को यथेष्ट प्रोत्साहन प्राप्त करने में कठिनाई होती है । विकास खण्ड स्तर पर स्थापित हो रहे मिनी औद्योगिक आस्थानों में देहात के कारीगरों, जिनमें पिछडे जाति का बाहुल्य है, द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की आशा की जाती है । अत: प्राथमिकताओं आदि की स्पष्ट व्याख्या करते हुए आवंटन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना आवश्यक हो गया है ।

क्रमश:--------- 2 पर

विचारोपरान्त निम्न आवंटन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है जो तात्कालिक प्रभाव से लागू मानी जायेगी ।

आवंटन हेतु उपलब्ध शेड तथा भूखण्डों की जानकारी दिया जाना :-

सामान्य प्रबन्धक स्थानीय समाचार - पत्रों के माध्यम से, जिनका यथेष्ट प्रचार जनपद में हो, आवंटन हेतु उपलब्ध शेड्स तथा भूखण्डों की जानकारी देते हुए निर्धारित तिथि तक आवेदन - पत्र आमंत्रित करेंगे । ये विज्ञप्तियाँ कम - से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार - पत्रों में छपवाई जाये तथा विज्ञप्ति प्रकाशन के दो माह बाद की, प्रार्थना - पत्र जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराये जाने की, अन्तिम तिथि निर्धारित की जाये । विज्ञप्ति मे शेड्स / भूखण्ड का क्षेत्रफल भी यथासम्भव दिया जाये ।

विस्तृत प्रचार हेतु विज्ञापन की प्रतियाँ जिला उद्योग केन्द्र, जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, सम्बन्धित तहसीलदार तथा विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पटो पर भी चिपकाई जाये । विज्ञप्ति में अर्हताओं, प्राथमिकता, आवश्यक फीस जमा करने तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि अन्य आवश्यक कागजातयुक्त प्रार्थना - पत्र मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मांगे जाये और प्रार्थना पत्र का प्रारूप जिला उद्योग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सामान्य प्रबन्धक सुनिश्चित करें ।

प्रार्थना - पत्र के साथ देय अग्रिम राशि

प्रार्थना - पत्र के साथ जमा किये जाने वाले अग्रिम की राशि निम्न प्रकार होगी :-

॥क॥ 200 वर्गमीटर तक के भूखण्ड हेतु	रू0 100.00
॥ख॥ 200 वर्ग मीटर से अधिक	रू0 500.00
॥ग॥ शेड श्रेणी "अ"	रू01000.00
॥घ॥ शेड श्रेणी "ब" स" स"	रू0 500.00 .

प्रार्थना पत्रों की जाँच

निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रार्थना - पत्रों की जाँच :-

क्रमशः:-------- 3 पर

विज्ञप्ति में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी प्रार्थना - पत्रों को क्रमानुसार रजिस्टर में चढाया जाये तथा रजिस्टर में बनाये गये विभिन्न स्तम्भों में विवरण अंकित किया जाये । जिन प्रार्थना पत्रों के साथ प्रार्थना - पत्र शुल्क जमा नहीं किया गया हो उन्हें सामान्य प्रबन्धक द्वारा निरस्त किए जाने की सूचना पंजीकृत पत्र से तीन दिन के अंदर भेजी जाये ताकि उद्यमी को अपना प्रार्थना पत्र परिपूर्ण रूप में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्राप्त हो जाये । हाथो - हाथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना - पत्रों की जाँच तत्काल कर कमियों की जानकारी प्रार्थी को दी जाये § लिखित टिप्पणी द्वारा § जिससे अभ्यर्थी समय रहते कमियों को पूरा कर सकें ।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रार्थना - पत्रों के साथ संलग्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जाँच ससमान्य प्रबन्धक द्वारा की जाये । यदि प्रोजेक्ट आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक पाया जाता है तो उसे पात्रता की श्रेणी में रखते हुए कमियों के निवारण हेतु प्रार्थी को सूचित किया जाये । जो प्रार्थना पत्र व्यवहारिक न पाए जाये अथवा प्रतिबन्धित उद्योग आदि से सम्बन्धित हो उन्हें निरस्त कर दिया जाय।

सामान्य प्रबन्धक द्वारा जाँच के बाद जो प्रार्थना - पत्र उपर्युक्त पाए जाये उनका उल्लेख उपरोक्त रजिस्टर के स्तम्भों में कर दिया जाये । तथा शुल्क प्राप्त न होने अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आर्थिक रूप से अव्यवहारिक पाए जाने के कारण निरस्त प्रार्थना - पत्रों के विषय में रजिस्टर में टिप्पणी अंकित की जाय ।

पात्र प्रार्थना - पत्रों के पक्ष में आवंटन :-

शासनादेश संख्या -5754:18-2§आर§/ दिनांक 14.10.80 द्वारा सामान्य प्रबन्धको को शेड / भूखण्ड के आवंटन के अधिकार दिए गए है फिर भी आवंटन प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाने की दृष्टि से निम्न अधिकारियों की आवंटन समिति बनाई जाती है :-

1. सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,
2. प्रबन्धक § ऋण § —
3. एक अन्य प्रबन्धक § क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक उद्योग द्वारा नामित§

क्रमशः:---------- 4 पर

आवंटन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं पात्र व्यक्तियों का चयन :-

आवंटन समिति की बैठक में, पात्र अभ्यर्थियों को पूर्व सूचना देते हुए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाये । साक्षात्कार के समय प्रोजेक्ट के विषय में प्रार्थी की जानकारी, क्षमता, अर्थव्यवस्था आदि के विषय में प्रार्थी की परख की जाये ।

आवंटन के समय निम्नांकित आरक्षण एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाये ।

आवंटन हेतु आरक्षण :-

आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों / शेडो की कुल संख्या का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षित रखा जायेगा । यदि दो बार विज्ञप्ति प्रकाशित करने के बाद भी इस श्रेणी के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो शासन की पूर्व स्वीकृति पूर्वक सामान्य वर्ग के लोगों को शेड्स / प्लाट्स आवंटित किये जा सकते है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने के विषय में सभी सम्भव प्रयास किये जाना चाहिए ।

आवंटन हेतु प्राथमिकताएँ :-

विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्ड / शेडो का आवंटन निम्न क्रम में उल्लिखित प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुए किया जायेगा

1 ॥अ॥ शत प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयाँ ।
2 ॥ब॥ आयात की स्थानापन्न सामग्री का उत्पादन करने वाली इकाइयाँ ।
3 ॥स॥ अप्रवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा से स्थापित इकाइयाँ ।
4 ॥द॥ राज्याधीन निगमों के सहयोग से स्थापित होने वाले संयुक्त उपक्रम ।
5 ॥क॥ उसी औद्योगिक आस्थान में विस्तार हेतु भूमि चाहने वाली इकाइयाँ ।
6 ॥ख॥ औद्योगिक आस्थान / क्षेत्रों से अन्यत्र स्थापित इकाइयाँ॥ क्षेत्र में स्थापित ॥ जो औद्योगिक आस्थान में स्थानान्तरित होना चाहती हो।
7 ॥ग॥ तकनीकी डिग्री प्राप्त व्यक्ति ॥ साझेदारी फर्म में एक व्यक्ति के भी इस श्रेणी में आने पर वह प्राथमिकता का हकदार माना जायेगा ॥ । Allee (G.O)

कृपया:-------5 पर

8 ॥घ॥ तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति ।

9 ॥ड़॥ अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण, जो एक सप्ताह के कम का न हो, प्राप्त व्यक्ति ॥ उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति इस श्रेणी में माने जायेंगे ।

10 ॥च॥ महिला उद्यमी ।

11 ॥छ॥ स्वत: रोजगार आदि योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त व्यक्ति ।

12 ॥ज॥ उ0 प्र0 वित्त निगम / खादी ग्राम उद्योग / बैंको द्वारा जिनके पक्ष में ऋण स्वीकृत किया गया हो ।

13 ॥झ॥ बेरोजगार स्नातक एवं पूरक ॥ ॥ इकाइयाँ ।

14 ॥ट॥ सेना से अवकाश प्राप्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा विकलांगो की इकाई ।

15 ॥ठ॥ जिनकी भूमि औद्योगिक आस्थान हेतु ली गई है उनके परिवार के सदस्यों द्वारा स्थापित एक इकाई ।

पात्र प्रार्थना – पत्रों पर क्रमानुसार उपरोक्त आरक्षण एवं वरीयता का पालन करते हुये निर्णय किया जाये । आवंटन के समय प्रार्थी की योग्यता ॥ ॥ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये जिससे आवंटन के पश्चात शीघ्र उद्योग स्थापना सुनिश्चित की जा सकें ।

यदि उपलब्ध भूखण्ड / शेड की संख्या से अधिक पात्र व्यक्ति साक्षात्कार द्वारा चयनित होते है तो लाटरी पध्दति से ही आवंटन न्यायोचित होगा । लाटरी सामान्य प्रबन्धक, उनके तकनीकी अधिकारी तथा लीड बैंक अधिकारी या उनके पूर्व उल्लिखित प्रतिनिधि के समक्ष ही में डाली जायेगी । प्रार्थियो को लाटरी की सूचना दिनांक एवं स्थान व समय सहित दी जाये और जो उपस्थित होना चाहे वे अवश्य उपस्थित हो ।

इस प्रकार आवंटित शेड्स / भूखण्ड का निर्णय भी रजिस्टर में मीटिंग के समय ही अंकित किया जाये । दस प्रतिशत प्रार्थियो की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाये जो एक वर्ष तक वैध रहेगी ।

आवंटन पत्रों का प्रेषण :-

आवंटन प्रक्रिया के निर्णयोपरान्त 24 घण्टे के अन्दर आवेदको को शेड्स / भूखण्ड की आवंटन की सूचना पंजीकृत पत्र द्वारा भेज दी जाये । आवंटन पत्र में

Attested
[illegible]

क्रमश:---------- 6

भूखण्ड की संख्या, क्षेत्रफल, भूखण्ड शेडों की निर्धारित दर । यदि मूल्य निर्धारण नहीं हुआ है उस दशा में अनुमानित मूल्य । तथा उसके दस प्रतिशत मूल्य जमा करने की धनराशि की सूचना अंकित रहेगी । आवंटी को कुल जमा की जाने वाली धनराशि हेतु आवंटन पत्र के साथ ट्रेजरी चालान की तीन हस्ताक्षरित प्रतियाँ, जिनमें विभाग का यह लेखा शीर्षक भी अंकित रहेगा जिसके अन्तर्गत औद्योगिकआस्थानों के लिए धन जमा किया जाता है, संलग्न कर भेजा जाये । दस प्रतिशत धनराशि में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जमा धनराशि का समायोजन किया जाये ।

[redacted]

परचेज एग्रीमेन्ट की प्रतियाँ शेड के आवंटन पत्र के साथ ही संलग्न कर आवंटी को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि आवंटन - पत्र जारी होने के 30 दिन के अन्तर्गत सूचित अग्रिम धनराशि जमा करने का चालान लीज डीड, हायर परचेज एग्रीमेन्ट स्टैम्प पेपर पर तीन प्रतियों में हस्ताक्षर कर सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कार्यालय में प्रस्तुत करें । यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत आवंटी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो 15 दिन का एक अवसर देते हुए पंजीकृत पत्र द्वारा सूचना भेजी जाये । इसके उपरान्त भी आवंटी से कोई सूचना यदि उपलब्ध नहीं होती है तो उसका आवंटन निरस्त करते हुये प्रतीक्षा सूची वाले अन्य उद्यमी को आवंटन की [redacted]

आवंटी द्वारा अग्रिम धनराशि एवं लीज डीड / हायर परचेज एग्रीमेन्ट कार्यालय में प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय में लीज डीड / हायर परचेज एग्रीमेन्ट पंजीकृत कराया जाये तथा भूखण्ड / शेड का कब्जा आवंटी को दे दिया जाये ।

उपर्युक्त सभी कार्यवाहियों के लिए समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का रहेगा ।

नये उद्यमियों को आवंटन हेतु प्रार्थना - पत्रों को पूर्ण कराना, लीज डीड / हायर परचेज एग्रीमेन्ट आदि भराने की जिम्मेदारी जिला उद्योग केन्द्र के सामान्य प्रबन्धक की होगी ।

आवंटी, आवंटन प्राप्त होने के पश्चात अपने स्तर से अग्रिम धनराशि एवं लीज डीड का निष्पादन यदि नहीं कराता है तो उसके द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र के

क्रमशः:-------- 7 पर

साथ जमा की गयी धनराशि जप्त कर ली जायेगी । शेष उद्यमियों जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है उनकी धनराशि निर्णय के उपरान्त वापस कर दी जायेगी । प्रतीक्षा सूची के उद्यमियों की जमानत धनराशि प्रतीक्षा सूची की अवधि समाप्त कर वापस की जायेगी ।

आवंटनोपरान्त अनुश्रवण :-

भूखण्ड / शेड्स के आवंटन के पश्चात आवंटन - पत्र में उल्लिखित अवधि के अंदर इकाई की स्थापना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सामान्य प्रबन्धक का होगा। यदि उद्योग की स्थापना में व्यवहारिक कारणों से विलम्ब हो रहा हो तो एक

एक वर्ष का समयवृध्दि, इकाई द्वारा किये गये प्रयासो से संतुष्ट होने पर मण्डलीय अपर / संयुक्त निदेशक दे सकेंगे । तदन्तर समयवृध्दि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के आदेश से ही सम्भव होगी ।

यदि कोई आवंटी समय से उद्योग स्थापना हेतु प्रयास नहीं करता है तथा समयवृध्दि का प्रार्थना - पत्र भी प्रस्तुत नहीं करता है तो निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद आवंटी को कारण बताओं नोटिस सामान्य प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा और नोटिस जारी होने के 2 माह के अंदर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी । इस प्रकार अनुश्रवण सुनिश्चित करना सामान्य प्रबन्धक का दायित्व होगा ।

कीमत का भुगतान :-

भूखण्ड / शेड का मूल्य का शेष 90 प्रतिशत भाग का भुगतान 15 त्रैमासिक किश्तों में 6 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जायेगा । उद्योग स्थापना हेतु प्रथम दो वर्षों में कोई किश्त निर्धारित नहीं होगी । आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि तक भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि पर समय समय पर निर्धारित दण्ड ब्याज भी लिया जायेगा ।

Attested

औद्योगिक आस्थानों में उपलब्ध भूखण्डों एवं शेडों के आवंटन हेतु प्रार्थना - पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

सामान्य प्रबन्धक,

जिला उद्योग केन्द्र,

- - - - - - - - - -

महोदय,

मैं / हम लोग औद्योगिक आस्थान - - - - - - - - - - - - के अन्तर्गत रिक्त भूखण्ड / शेड के आवंटन हेतु रू० - - - - - - - - - - - प्रार्थना पत्र के शुल्के रूप में डाकघर पासबुक संख्या - - - - - - - - - - दिनांक- - - - - जो आपको बंधक है संलग्न कर प्रेषित है ।

मैं / हम लोग साथ में संलग्न नियमों पर अध्ययन कर औद्योगिक आस्थान के अन्तर्गत भूखण्ड / शेड आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते है तथा भूखण्ड / शेड के आवंटन के पश्चात उद्योग विभाग के नियमों के अनुसार उद्योग स्थापित करूँगा / करेंगें ।

1. प्रार्थी का नाम व पता औद्योगिक इकाई के नाम के साथ
2. प्रार्थना - पत्र शुल्क जमा किये जानें का विवरण ।
3. यदि प्रस्तावित रूप से पंजीकृत है तो पंजीकरण संख्या तथा दिनांक
4. सामग्री जिसका उत्पादन किया जायेगा
5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवहारिक है अथवा नहीं
6. क्या विदेशी सहायता से इकाई स्थापितकी जायेगी ।

क्रमश:——— 2 पर